वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी, 2017-माघ 21, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरे पति भुवनलाल शर्मा है जो भूतपूर्व सैनिक है मै उनकी पत्नी श्रीमति कृष्णा बाई शर्मा पति भुवनलाल शर्मा हूँ मुझे मेरे घर पर कांति के नाम से पुकारा जाता है मेरे पति ने अपनी सर्विस के अभिलेख में मेरा नाम श्रीमति के. कांति शर्मा दर्ज करा दिया था. श्रीमति के. कांति शर्मा व श्रीमति कृष्णा बाई शर्मा मैं एक ही महिला हूँ. जिससे किसी और महिला का कोई संबंध नहीं है उक्त जानकारी मैं अपने पति के फन्ड एवं पेन्शन आदि की राशि व अन्य सुविधा प्राप्त होने के संबंध में राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु जन सामान्य के लिए प्रकाशित करा रही हूँ.

पुराना नाम :

(के. कांति शर्मा व कृष्णा बाई शर्मा)

नया नाम :

(कृष्णा बाई शर्मा)
पति भुवनलाल शर्मा
निवासी-टर्वेकर कॉलोनी वार्ड नं. 16, उमरानाला,
तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

(663-बी.)

CHANGE OF NAME

It is brought to the notice of all public that Smt. Shan Kaur and Smt. Shilan Devi are the name of same lady.

(SHAN KAUR *ALIES* SHILAN DEVI)

(664-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, **DR. NIVEDITA JHANG** W/o Shri Ajay Deep Jhang, born on 11-10-1974, R/o F-5/46, Char Imli. Bhopal 462016, employed as Reader at Govt. Homeopathic Medical College, Bhopal have

changed my name to **DR. NIVEDITA AGRAWAL** D/o Shri N.L. Agrawal, by affidavit sworn before the Notary Public, Bhopal on 15-12-2016.

Old Name:
(NIVEDITA JHANG)

New Name :
(NIVEDITA AGRAWAL)

(665-B.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में मेसर्स गंगाधर शर्मा एण्ड संन्स इ-79, गौतम नगर नियर ज्योति सिनेमा भोपाल जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसायटीज म. प्र. के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 70/89, दिनांक 05-04-1989 पर रजिस्टर्ड फर्म है के एक भागीदारी श्री में से भागीदार (1) श्री रजा बाबू आत्मज श्री बहादुर सिंह शर्मा एवं श्रीमती यशोदा शर्मा आत्मज श्री रामपाल शर्मा दिनांक 15-11-2013 से फर्म से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं एवं दिनांक 15-11-2013 से ही (2) श्री सुनील गुप्ता पिता स्व. श्री जे. पी. गुप्ता फर्म में नये भगीदार हो गये थे. इसके पश्चात् दिनांक 01-02-2017 को श्री सुनील गुप्ता पिता स्व. श्री जे. पी. गुप्ता स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं एवं उसी दिनांक 01-02-2017 को श्रीमती अनिता गुप्ता पति श्री सुनील गुप्ता ने भागीदार के रूप में प्रवेश कर लिया है. अत: वर्तमान में फर्म दिनांक 01-02-2017, श्रीमती कलावती शर्मा एवं रितेश शर्मा एवं श्रीमती अनिता गुप्ता की भागीदारी में संचालित की जा रही है.

प्रदीप कुमार शर्मा,
(अधिवक्ता)
ए-48 डॉ. अम्बेडकर कॉलोनी,
ओल्ड सुभाष नगर भोपाल.

(666-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्कॉय हाईट्स कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00120/14 है, जोकि पार्टनरशिप फर्म के रूप में सं. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीकृत है, यह कि इस भागीदारी फर्म में पार्टनर क्र. 1. श्री मुकीद फारूकी, पार्टनर क्र. 2 श्री साहिर अहमद, पार्टनर क्र. 3 श्री सोहेल अहमद, आज दिनांक 30-01-2017 को फर्म के भागीदार सोहेल अहमद पिता श्री नफीस अहमद निवासी-21, जिन्सी, जेल बाग रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल स्वेच्छा से इस फर्म से अपनी भागीदारी को समाप्त करते है.

अत: अब वर्तमान में मेसर्स स्कॉय हाईट्स कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स पार्टनरशिप फर्म में मात्र दो ही भागीदार 1. श्री मुकीद फारूकी, पार्टनर क्र. 2. श्री साहिर अहमद बाकी शेष रह गये हैं.

SKY HEIGHTS
Construction & Developers
1. मुकीद फारूकी,
2. साहिर अहमद,
PARTNER.

(667-बी.)

जाहिर सूचना

हमारे पक्षकार विनायक श्री इन्टरप्रायजेस 410 जनता कॉलोनी इन्दौर म. प्र. के निर्देशानुसार सर्व सूचित हो कि, हमारे पक्षकार भागीदार फर्म में से भागीदार श्री अमरजीत सिंह चड्डा पिता श्री बालकरण सिंह चड्डा, निवासी 410 जनता कॉलोनी इन्दौर म. प्र. द्वारा रिटायरमेन्ट ले लिया गया है. उक्त अमरजीत सिंह चड्डा अब हमारे पक्षकार भागीदार फर्म में भागीदार नहीं रहे हैं, पृथक हो गये हैं. इस संबंध में एक रिटायरमेन्ट डीड, उन्होंने निस्पादित करके हमारे पक्षकार को दे दी है. सर्व-साधारण को सूचित हो कि उक्त भागीदार अमरजीत सिंह चड्डा के पृथककरण में अर्थात रिटायरमेन्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्था को जनसाधारण को किसी प्रकार की हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय पर लेखी प्रमाण सहित मिले अन्यथा मियाद के अवसान के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी.

पं. देवीप्रसाद शर्मा,
पं. श्रीकांत शर्मा,
पं. अरविन्द शर्मा,
(एडव्होकेट्स)
इन्दौर.

(668-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर, जिला-ग्वालियर

प्र. क्र. 02/2016-17/बी-113(1) ग्वालियर, दिनांक 24 जनवरी, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवा) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) देखिये]

आवेदक श्री फ्रांसिस जेवियर पुत्र स्व. श्री माईकल निवासी चर्च कम्पाउण्ड, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर ने अभिभाषक श्री जितेन्द्र मिश्रा के द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 से "RAY OF HOPE MEDICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION" स्थित चक्की वाला वगिया तिकोनिया पार्क के पास विनयनगर सेक्टर नम्बर 2 ग्वालियर, म. प्र. ने 1951 (1951 का तीसवा) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 28 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियॉ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अत: मैं पंजीयन लोक न्यास जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 28 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

"अनुसूची"

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता और चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	"RAY OF HOPE MEDICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION"
पता	:	चक्की वाला वगिया तिकोनिया पार्क के पास विनयनगर सेक्टर नम्बर 2 ग्वालियर.
लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:		
2. चल सम्पत्ति	:	21,000/- रुपये
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

विजय राज,
पंजीयक.

(245)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सार्वजनिक न्यास पंजीयक हटा, जिला-दमोह

हटा, दिनांक 10 जनवरी, 2017

राज. प्र. क्र. 02ब/113 वर्ष 2016-17

प्रारूप क्रमांक-4

(नियम-5/1 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 का नियम-5/1 के द्वारा]

श्री आदित्यवर्धन सिंह हजारी पिता स्व. राघवेन्द्र सिंह हजारी साकिन हजारी वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (म. प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन पंजीयक सार्वजनिक न्यास हटा, जिला दमोह

यह कि आवेदक श्री आदित्यवर्धन सिंह हजारी पिता स्व. राघवेन्द्र सिंह हजारी साकिन हजारी वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह मध्यप्रदेश द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदक दिनांक 01 फरवरी, 2016 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये निवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2017 को दिन के 12 बजे दोपहर को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में आपत्ति स्वत: या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "हजरत मलंगशाह वली (औलिया) रहमातुल्लाह अलैह किले वाले बाबा साहेब हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (म. प्र.) अध्यक्ष/शदर-श्री आदित्यवर्धन सिंह हजारी साकिन हजारी वार्ड हटा.

2. सम्पत्ति का विवरण : (अ) (1) बाबा साहेब की दरगाह (2) दरगाह प्रांगण में स्थित 5 कमरे (3) दरगाह के पश्चिम में कच्चा बाउण्डीवाल (4) ताजिया रखने वाला एक मक्कान एवं हैंडपंप (5) मझार प्रांगण में के पूर्व के कोने में पांच जीर्ण-शीर्ण कमरे (6) पूर्व में पानी की टंकी एवं मुख्यद्वार है.

(ब) (1) बाबा मंगलशाह किले वाले बाबा साहब की दरगाह मौजा हटाखास पटवारी हल्का नंबर 32 स्थित भूमि खसरा नंबर 215/12 रकवा 0.271 हेक्टर घास म. प्र. राज्य सरकार में से 0.049 हेक्टर में स्थित है, खसरा के कॉलम 12 में प्रविष्टि दर्ज है. (2) न्यास की आय का कोई स्त्रोत नहीं है. अचल संपत्ति का मूल्य लगभग 50,000/- है. औसत वार्षिक आय 12,000/- है. (3) न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री आदित्यवर्धन सिंह हजारी द्वारा कार्य देखा जा रहा है.

नंदलाल सामरथ,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(246)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र. क्र. /बी-113/2016-17.

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यहकि अध्यक्ष, दिगम्बर पिता लक्ष्मण महाजन, निवासी फोपनार तहसील व जिला, बुरहानपुर ने "श्री द्वारकाधीश मन्दिर ट्रस्ट (महानुभाव पंथ) फोपनार जिला बुरहानपुर (म. प्र.)" को लोकन्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "श्री द्वारकाधीश मन्दिर ट्रस्ट (महानुभाव पंथ) फोपनार, जिला बुरहानपुर (म. प्र.)"
2. चल सम्पत्ति : 13,200/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

जारी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

श्यामेन्द्र जायसवाल,
पंजीयक.

(247)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री अखिल भारतीय श्री श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास पता- 342, स्टारलेट टावर यशवंत निवास रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी डॉ. प्रकाश बागानी पिता लालचंद बागानी निवासी-26/1, रेसकार्स रोड, इन्दौर अन्य-6 के द्वारा अखिल भारतीय श्री श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास कार्यालय पता-342, स्टारलेट टावर यशवंत निवास रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर म. प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अखिल भारतीय श्री श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास
पता	:	342, स्टारलेट टावर यशवंत निवास रोड, इन्दौर म. प्र.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट की चल सम्पत्ति में 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है.

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव
पंजीयक.

(248)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राज.) पंजीयक, लोक न्यास, मुलताई, जिला बैतूल

प्र.क्र. ब/113(1) वर्ष 2012-13.

प्रारूप-पांच

[नियम-5 (1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30 की धारा-5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 का उपनियम (1) के अंतर्गत]

लोक न्यास के पंजीयक तहसील मुलताई, जिला बैतूल मध्यप्रदेश के समक्ष

क्योंकि-मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) अभिप्राय के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक मुलताई, जिला बैतूल के लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनाक 10 नवम्बर, 2016 (30 दिन) को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाला अन्य कोई व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखता हो, को सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये उपर्युक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता,चल-अचल सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : लोणारी कुन्बी समाज भवन लोक न्यास (ट्रस्ट), मुलताई, जिला बैतूल.
2. चल सम्पत्ति : 1,81,681/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : मुलताई में 2 भू-खण्ड दो मंजिला निर्मित भवन की अनुमानित लागत 60,71,700/- रुपये.

राजेश शाह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(379)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

क्र./आब/बकाया/17/.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि राजगढ़ जिले के निम्नानुसार अंकित आबकारी बकायादार का फोटो तथा उससे संबधित जानकारी प्रकाशित की जा रही है. ये आबकारी बकायादार है तथा इनसे म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत बकाया राजस्व की वसूली की जाना है. अत: बकायादार के नीचे छपे चित्र वाले व्यक्ति को यदि कोई पहचानता हो तो उसके संबंध में आवश्यक जानकारी निवास स्थान अथवा कार्य करने के स्थान का पता इत्यादि चल/अचल सम्पत्ति की किसी भी व्यक्ति को जानकारी हो तो जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय राजगढ़ को आवश्यक रूप से सूचित करने का कष्ट करें.

सम्पर्क दूरभाष क्रमांक 07372-255004

क्र.	बकायादार का फोटो	बकायादार का नाम एवं पता	बकाया का विवरण	कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1.		श्री दिनेश कुमार शिवहरे पिता श्री रामचरण शिवहरे, निवासी शहीद कालोनी, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म. प्र.).	वर्ष 2001-2002 की देशी/मदिरा एकल समूह करनवास, बारवा, भिलवाडिया लायसेंस फीस की बकाया राशि	678542/-

एस. के. दुबे.,
जिला आबकारी अधिकारी.

(377)

कार्यालय परिसमापक केन्द्रिय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., देडतलाई

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

केन्द्रिय औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, देडतलाई, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2138, दिनांक 13 जुलाई, 2009 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 587, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित क्रिया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(249)

कार्यालय परिसमापक ब्रम्हा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ब्रम्हा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1966,

दिनांक 26 जून, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 662 दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(250)

कार्यालय परिसमापक चन्द्रकला पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चन्द्रकला पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1980, दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 663, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251)

कार्यालय परिसमापक महाकाला यार्न एण्ड क्लाथ क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महाकाला यार्न एण्ड क्लाथ क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1982, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 664, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(252)

कार्यालय परिसमापक हरियाणा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

हरियाणा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1991, दिनांक 04 जनवरी, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 665, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(253)

कार्यालय परिसमापक रत्नेश पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

रत्नेश पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2060, दिनांक 03 अगस्त, 2007, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 666, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(254)

कार्यालय परिसमापक ओम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ओम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2131, दिनांक 04 अप्रैल, 2009, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 667, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(255)

कार्यालय परिसमापक माँ शारदा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ शारदा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2140, दिनांक 03 अगस्त, 2009 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 668, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(256)

कार्यालय परिसमापक प्रोग्रेसिव पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्रोग्रेसिव पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 22 फरवरी, 2011 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 669, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(257)

कार्यालय परिसमापक अंबिका पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अंबिका पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 22 मार्च, 2004, 90/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(258)

कार्यालय परिसमापक पवन पुत्र पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पवन पुत्र पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 18 सितम्बर, 2000, 53/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(259)

कार्यालय परिसमापक कमल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कमल पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 51, दिनांक 26 जुलाई, 2003, 77/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(260)

कार्यालय परिसमापक श्याम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्याम पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 25 अगस्त, 2003, 78/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 468, दिनांक 28 मई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(261)

कार्यालय परिसमापक के. जी. एन. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

के. जी. एन. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 389, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(262)

कार्यालय परिसमापक आदिवासी किसान साख सहकारी समिति मर्या., धूलकोट

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदिवासी किसान साख सहकारी समिति मर्या., धूलकोट, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1877, दिनांक 03 मार्च, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 65, दिनांक 25 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(263)

कार्यालय परिसमापक माँ गायत्री एग्रो को आप समिति मर्या., बसाड

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ गायत्री एग्रो को आप समिति मर्या., बसाड, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1879, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 594, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(264)

कार्यालय परिसमापक अमन यार्न एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अमन यार्न एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 25 जुलाई, 2003, 76/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एन. टाले,
उप-पंजीयक.

(265)

कार्यालय परिसमापक ब्ल्यु स्टार पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ब्ल्यु स्टार पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 06 जून, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 388, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(266)

कार्यालय परिसमापक ओ. बी. सी. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ओ. बी. सी. पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 04 मार्च, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 387, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(267)

कार्यालय परिसमापक पापुलर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पापुलर पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 386, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से ज़ारी किया गया.

(268)

कार्यालय परिसमापक राज लक्ष्मी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

राज लक्ष्मी पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 27 मई, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 384, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(269)

कार्यालय परिसमापक शितला माता औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शितला माता औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2036, दिनांक 23 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 586, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(270)

कार्यालय परिसमापक स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 235, दिनांक 23 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 585, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(271)

कार्यालय परिसमापक चांदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चांदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., चांदनी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 234, दिनांक 23 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 584, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(272)

कार्यालय परिसमापक माँ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 233, दिनांक 23 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 583, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273)

कार्यालय परिसमापक पवन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पवन पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 जुलाई, 2003, 75/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 677, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(274)

कार्यालय परिसमापक दीक्षा क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दीक्षा क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 17 मार्च, 2005, 100/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 677, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(275)

कार्यालय परिसमापक महाकाल यार्न एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महकाल यार्न एण्ड क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 17 मार्च, 2005, 99/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 677, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(276)

कार्यालय परिसमापक सन्मती पावरलुम बुनकर क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सन्मती पावरलुम बुनकर क्लाथ मार्केटिंग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 23 जुलाई, 2003, 73/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 677, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(277)

कार्यालय परिसमापक जय दुर्गा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जय दुर्गा पावरलुम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 20 अक्टूबर, 2003, 82/05 सितम्बर, 2014 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 677, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(278)

कार्यालय परिसमापक फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., नसीराबाद

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., नसीराबाद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2022, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 607, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279)

कार्यालय परिसमापक फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., महलगुराडा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., महलगुराडा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 606, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(280)

कार्यालय परिसमापक माँ भगवती फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., अम्बा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ भगवती फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., अम्बा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2007, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 605, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(281)

कार्यालय परिसमापक शिवाबाबा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., गंभीरपुरा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शिवाबाबा फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., गंभीरपुरा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2019, दिनांक 20 अप्रैल, 2007, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 604, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(282)

कार्यालय परिसमापक बाघेश्वरी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पूरा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

बाघेश्वरी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., पूरा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2018, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 603, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(283)

कार्यालय परिसमापक गणेश फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., बोरीबुजुर्ग

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

गणेश फसल सुरक्षा सहकारी मर्या.,बोरीबुजुर्ग, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 602, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(284)

कार्यालय परिसमापक प्लस श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

प्लस श्रमिक कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 07 फरवरी, 2013 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 601, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(285)

कार्यालय परिसमापक सदगुरु जैविक खाद क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., निम्बोला

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सदगुरु जैविक खाद क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., निम्बोला, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2004, दिनांक 24 मार्च, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 598, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(286)

कार्यालय परिसमापक ब्रम्हा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ब्रम्हा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1822, दिनांक 03 मार्च, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 566, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(287)

कार्यालय परिसमापक सिटीजन कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सिटीजन कुक्कुट पालन सहकारी सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1769, दिनांक 03 जुलाई, 2000, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 565, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(288)

कार्यालय परिसमापक राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

राधेकृष्ण पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 25 जुलाई, 1998, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 564, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(289)

कार्यालय परिसमापक अमर कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अमर कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1415, दिनांक 11 जनवरी, 1993, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 563, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(290)

कार्यालय परिसमापक श्री गणेश केला टिश्यु उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री गणेश केला टिश्यु उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 561, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291)

कार्यालय परिसमापक मनुदेवी केला टेश्यु उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चापोरा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मनुदेवी केला टिश्यु उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चापोरा, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 03 सितम्बर, 2012, है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 561, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(292)

कार्यालय परिसमापक चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., उताम्बी

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., उताम्बी, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 560, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(293)

कार्यालय परिसमापक आशा देवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धूलकोट

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आशा देवी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., धूलकोट, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2024, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(294)

कार्यालय परिसमापक राधा स्वामी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., झिरपांजरिया

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

राधा स्वामी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., झिरपांजरिया, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2025 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(295)

कार्यालय परिसमापक पवन पुत्र हनुमान फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., चिखलया

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पवन पुत्र हनुमान फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., चिखलया, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 2023, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(296)

कार्यालय परिसमापक शाह जारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शाह जारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1871, दिनांक 28 फरवरी, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक 66, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

टी. आर. सांवले,
सहकारी निरीक्षक.

(297)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीरतनगर,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीरतनगर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 03 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(301)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिलगवां,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिलगवां, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश

देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(302)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मांगरोल,
तहसील बरेली, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मांगरोल, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 15 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(303)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूरगंज,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(304)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरसिली,
तहसील बरेली, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरसिली, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1134, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(305)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्ली सिलारी,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिल्ली सिलारी, तहसील उदयपुरा,

जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 06 अगस्त, 2012 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
ग्रामीण मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., देवरी,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्रामीण मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 594, दिनांक 30 अप्रैल, 2009 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(307)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किग्गी,

तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किग्गी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(308)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
जय किसान प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., औबेदुल्लागंज,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय किसान प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 347, दिनांक 06 मार्च, 1987 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक

28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(309)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिन्नौर,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिन्नौर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 06 सितम्बर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
संघनी महिला बचत सहकारी संस्था मर्या., विनेका,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर संघनी महिला बचत सहकारी संस्था मर्या., विनेका, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 974, दिनांक 03 मार्च, 2011 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(311)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघरी,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोघरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौहरगंज,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौहरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन,

जिसका पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 03 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(313)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतेहरी,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतेहरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 953, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(314)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
मत्स्य सह. संस्था मर्या., शाल्य बररू सिलवानी,

तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मत्स्य सह. संस्था मर्या., शाल्य बररू सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1209, दिनांक 27 जनवरी, 2016 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(315)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कामलौन,

तहसील बरेली, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कामलौन, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 684, दिनांक 27 नवम्बर, 1999 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक

28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
मुस्कान म. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मुस्कान म. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 837, दिनांक 23 जुलाई, 2003 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
शिवशक्ति प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गौहरगंज,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर शिवशक्ति प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गौहरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 638, दिनांक 09 जनवरी, 1998 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(318)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 28 दिसम्बर, 2002 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पड़रई खुर्द,

तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पड़रई खुर्द, तहसील उदयपुरा,

जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 03 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मरखीड़ा गुलान,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मरखीड़ा गुलान, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेमराखास,

तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सेमराखास, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 27 जनवरी, 2016 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(322)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
कौशल्या गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर कौशल्या गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 617, दिनांक 04 जुलाई, 1997 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो

दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(323)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
गालूभूमि प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., रायसेन,

तहसील रायसेन, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर गालूभूमि प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 03 अप्रैल, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(324)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहगवां,

तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहगवां, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1110, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(325)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खपरिया खापा,

तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खपरिया खापा, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 875, दिनांक 24 अप्रैल, 2004 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(326)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
पर्यटन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर पर्यटन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन,

जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(327)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
आदि. पिछड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर आदि. पिछड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 11 फरवरी, 2004 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(328)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
नगरीय मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., अमरथौन,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर नगरीय मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., अमरथौन, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 08 मई, 2000 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कुकरा,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कुकरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 28 जून, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अत: मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो

दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
शांति प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गैरतगंज,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर शांति प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(331)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 06 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) एवं धारा 53 (12) के अंतर्गत)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/2016/1526 दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा आठवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित छिन्दवाड़ा (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर//सी. डब्ल्यू. ए/ 819 दिनांक 10 जनवरी, 2014 को सहकारिता अधिनियम अन्तर्गत निर्वाचन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम. एल. चोकसे सहकारिता विस्तार अधिकारी की नियुक्ति की गई है.

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 05 अगस्त, 2016 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुर्नजीवित करने निर्वाचन करवाने तथा सहकारिता अधिनियम का पालन करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री एम. एल. चौकसे, सहकारिता विस्तार अधिकारी छिन्दवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है. उक्त आधार पर समिति को पुर्नजीवित करने की सहमति दी जाती है.

अतः मैं कु. अनीता उइके, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाये छिन्दवाड़ा म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंछि/परिसमापन/1526 दिनांक 05 मई, 2016 को निरस्त करती हूं एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करती हूं जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री पी. एस. उईके	अध्यक्ष
2.	श्री अरविन्द सूर्या	उपाध्यक्ष
3.	श्री मति शारदा धुर्वे	संचालक
4.	श्रीमति गुंजन मालवीय	संचालक
5.	श्री राजेन्द्रसिंह चौहार	संचालक
6.	श्री दयाराम आतराम	संचालक
7.	श्री मो. इसराईल खान	संचालक
8.	श्री कमलसिंग	संचालक
9.	श्री सतपाल बघेल	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा सहित जारी किया गया.

अनीता उइके,
उप-पंजीयक.

(298)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उमरिया

उमरिया, दिनांक 10 जनवरी, 2017

क्रमांक/परिसमापन/2017/26 कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2002/494 उमरिया दिनांक 18 जुलाई, 2002 द्वारा वी. पी. कोलफील्ड थोक उप. सहकारी भंडार मर्या. पाली, जिला उमरिया पंजीयन क्रमांक-495 दिनांक 17 अप्रैल, 1964 को म. प्र. सहकारी समितिया अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख., पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एम. एल. प्रजापति सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उमरिया म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत म. प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था वी. पी. कोल्डफील्ड थोक उप. सहकारी भंडार मर्यादित पाली, जिला उमरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाडी समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299)

उमरिया, दिनांक 10 जनवरी, 2017

क्रमांक/परिसमापन/2017/25 कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2013/598 उमरिया दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा महिला बहु. सहकारी, समिति मर्या., मझगवां ब्लाक करकेली, जिला उमरिया पंजीयन क्रमांक-76 दिनांक 05 सितम्बर, 2007 को म. प्र. सहकारी समितिया अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख., मानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एम. एल. प्रजापति सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उमरिया म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत म. प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों

का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., मझगवां ब्लाक करकेली, जिला उमरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाडी समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(300)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 12 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला होशंगाबाद के संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2016/1230, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नहारकोला	2273/14-10-1987	1230/06-07-2016
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडरिया	2202/30-07-1987	1230/06-07-2016
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिसौनीकलां	2287/14-10-1987	1230/06-07-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय	2146/18-10-1982	1230/06-07-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुण्डकलां	2927/19-04-2007	1230/06-07-2016
6.	नर्मदा महिला औद्योगिक सहकारी समिति, डोगरवाडा	2991/05-08-2008	1230/06-07-2016
7.	बंसुन्धरा रेशम औद्योगिक सहकारी समिति, मानागांव	2999/25-08-2008	1230/06-07-2016
8.	माँ वैष्णों महिला बहु. सहकारी समिति, रांईखेडी	2763/11-06-2002	1230/06-07-2016
9.	शिक्षित बेरोजगार सहकारी साख समिति, इटारसी	2422/30-07-1993	1230/06-07-2016
10.	ताज महिला सरकारी साख समिति, इटारसी	3016/13-10-2008	1230/06-07-2016
11.	बालाजी सहकारी साख समिति, मालनी	3024/24-02-2009	1230/06-07-2016
12.	जय दुर्गे सहकारी साख समिति, मनवाडा	3027/28-02-2009	1230/06-07-2016
13.	माँ नर्मदा सहकारी साख समिति, सिरवाड	3028/28-02-2009	1230/06-07-2016
14.	शिवशक्ति सहकारी साख समिति, बीकोर	3030/30-03-2009	1230/06-07-2016
15.	भारतीय साख सहकारी समिति, सोहागपुर	3018/01-01-2009	1230/06-07-2016

अत: मैं, ए. एस. सल्लाम, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 (17वां) सन् 1961 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो, तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

ए. एस. सल्लाम,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(332)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 11 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 केअंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं के परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, पुनौर,	2808/21-04-2004	724/29-03-2014
2.	मां नर्मदा महिला बहु. सह. समिति, अजेरा,	2887/05-05-2006	727/29-03-2014
3.	जागृति महिला सह. समिति, डाबका,	2783/09-01-2003	175/30-01-2015
4.	नर्मदा गृह निर्माण सह. समिति, पिपरिया,	2147/17-05-1985	-"-
5.	तिलहन उत्पा. सह. समिति, डूडागांव,	2197/30-07-1987	988/30-05-2016
6.	तिलहन उत्पा. सह. समिति, भैसादेह,	2358/22-09-1991	988/30-05-2016
7.	साईनांथ महिला बहु. सह. समिति, बिछुआ,	3000/25-08-2008	988/30-05-2016
8.	न्यू इंडिया साख समिति, बनखेड़ी,	2358/06-07-2005	988/30-05-2016
9.	यूनाइटेड सह. साख समिति, पिपरिया,	2358/06-07-2005	988/30-05-2016
10.	तिलहन उत्पा. सह. समिति, चांदौन,	2223/12-10-1984	988/30-05-2016
11.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, खैरा,	2869/30-07-2005	725/29-03-2014
12.	श्याम महिला बहु. किशनपुर,	2892/06-07-2006	726/29-03-2014
13.	जय दुर्गे बुनकर सह. समिति, डांडीवाड़ा,	88/26-08-1989	175/30-01-15
14.	चेतना प्राथ. सह. उप. भंडार इटारसी,	2426/22-11-1993	175/30-01-2015
15.	तिलहन उत्पा. सह. समिति, बम्हौरी,	2414/21-08-1995	175/30-01-2015
16.	सामुदायिक कृषि सह. समिति, नाहरकोला,	1616/25-09-1958	175/30-01-2015
17.	माँ नर्मदा महिला बहु. चौराहट,	2885/25-04-2006	175/30-01-2015
18.	शुलभ महिला सह. साख कालज खेड़ी,	2831/31-03-2005	175/30-01-2015
19.	तिलहन उत्पा. सह. समिति, झल्लाय,	2135/21-08-2002	175/30-01-2015
20.	सुशीलाडेरी मत्स्य उद्योग सह. होशंगाबाद,	2913/08-02-2007	175/30-01-2015
21.	गोकुल ग्राम विकास, बिछुआ,	2858/06-07-2005	175/30-01-2015

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं, एस. के. गुप्ता परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57-(1) सी/ग के अंतर्गत ये सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाण को के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधिक के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो, यह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

एस. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(333)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 11 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तक्षशिला महिला बड़ीपापड़ उद्योग, होश.,	448/13-01-1994	989/30-05-2016
2.	उद्‌वहन सिंचाई सहकारी समिति, जमानी,	2796/17-10-2003	989/30-05-2016
3.	सतपुड़ा रेत खदान, केसला,	2472/06-10-1995	989/30-05-2016
4.	नितिन प्राथ. उपभोक्ता भंडार, इटारसी,	2455/08-06-1995	989/30-05-2016
5.	मृत्युंजय यातायात सहकारी समिति, इटारसी,	2816/18-08-2004	989/30-05-2016
6.	बजरंग प्राथ. उपभोक्ता, इटारसी,	2642/22-10-1997	989/30-05-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जमानी,	2825/04-03-2005	989/30-05-2016
8.	मां शारदा साख सहकारी समिति, इटारसी,	22/07-10-2003	989/30-05-2016
9.	गुरुगोविंद सिंह साख सह. समिति, इटारसी,	18/19-12-2002	989/30-05-2016
10.	महर्षि वाल्मिकी साख सह. समिति, इटारसी,	23/23-01-2003	989/30-05-2016
11.	माँ अन्नपूर्ण साख सह. समिति, इटारसी,	24/24-10-1988	989/30-05-2016
12.	माँ लक्ष्मी साख सहकारी समिति, इटारसी,	47/30-12-2003	989/30-05-2016
13.	राजीव गाँधी साख सह. समिति, इटारसी,	49/07-02-2004	989/30-05-2016
14.	महाराष्ट्र साख सहकारी समिति, इटारसी,	48/30-12-2003	337/07-03-2015
15.	जय प्रिया महिला बहुउद्देश्य सहकारी समिति, मोथिया साकेत	2696/24-05-1999	337/07-03-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों के एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तिका में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें.

विनिता चौधरी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(334)

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 11 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 तथा नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अंतर्गत)

क्रमांक/परिसमापन/2016-17

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्त किये जाने का संशोधित आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जय अम्बे पौध क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., पिपल्याकलॉ	3009/23-09-2008	337/07-03-2016

1	2	3	4
2.	बालाजी ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इटारसी	3075/17-05-2012	337/07-03-2016
3.	माँ नर्मदा उपभोक्ता भंडार मर्या., होशंगाबाद	2513/29-07-2014	337/07-03-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भट्टी	2434/26-06-1994	337/07-03-2016
5.	जय श्री राम उपभोक्ता भंडार मर्या., किशनपुर	3339/29-10-2016	337/07-03-2016
6.	जन जाति उन्नत बीज क्रय विक्रय सहकार समिति मर्या., बनापुरा (सिवनीमालवा)	2729/26-02-2001	337/07-03-2016
7.	सरस्वती साग-सब्जी बीज उत्पा. विपणन सह. समिति, बानापुरा	2725/09-01-2001	337/07-03-2016
8.	विन्ध्याचल साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद	3301/29-10-2016	337/07-03-2016
9.	माँ नर्मदा महिला साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3280/29-10-2016	337/07-03-2016
10.	संकल्प प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., इटारसी	2350/21-01-1996	337/07-03-2016
11.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मोहगांव पिपरिया	1728/12-01-1964	179/30-01-2015
12.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बोरी	2053/06-04-1971	179/30-01-2015
13.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., डाबका	2069/28-09-1971	179/30-01-2015
14.	मेद्यनाथ भूमिहीन सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., जमानी	21/27-07-1973	179/30-01-2015
15.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मोरपानी	22/30-09-1963	179/30-01-2015
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालनवाड़ा	2683/22-01-1999	179/30-01-2015
17.	बालाजी बीज क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., सुखतवा	3032/30-06-2009	179/30-01-2015
18.	बीज पौध क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., मालाखेड़ी	2944/12-09-2007	179/30-01-2015
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुपरली	2842/28-5-2005	179/30-01-2015
20.	प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, खामदा	3312/29-10-2016	179/30-01-2015
21.	दर्शन सहकारी विपणन एवं क्रय विक्रय संस्था मर्या., इटारसी	3346/29-10-2016	179/30-01-2015
22.	माइग्रेन मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., रानीपुर	3273/29-10-2016	179/30-01-2015
23.	बालाजी यातायात सहकारी समिति मर्या., इटारसी	3276/29-10-2016	179/30-01-2015
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सनखेड़ा	2144/06-10-1982	86/06-01-2016
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरा	2147/18-10-1982	86/06-01-2016
26.	बजरंग हाथ करघा सह. समिति मर्या., कांसदाखुर्द	81/20-06-1989	86/06-01-2016
27.	पुलिस कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद	2673/22-09-1998	86/06-01-2016
28.	तवा विस्थापित एवं प्रभावित सहकारी संस्था मर्या., रैसलपाठा	2534/05-12-1995	86/06-01-2016
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजबगांव	2895/18-08-2006	86/06-01-2016
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोहजनी	2807/21-04-2004	86/06-01-2016
31.	माँ रेवा कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं स्वस्तिक मुद्रणालय स.स., होशंगाबाद	2909/22-02-2007	86/06-01-2016
32.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., गुराड़िया मोती	1719/30-05-1964	86/06-01-2016
33.	माँ भवानी साख सहकारी समिति मर्या., जावली	3311/29-10-2016	86/06-01-2016
34.	माँ के लाड़ले रेत खदान श्रम ठेका सह. स. मर्या., आंचलखेड़ा	3348/29-10-2016	86/06-01-2016

1	2	3	4
35.	रोजगार कामगार सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3349/29-10-2016	86/06-01-2016
36.	जय कालिका साख सहकारी समिति मर्या., बज्जरवाड़ा	3332/29-10-2016	86/06-01-2016
37.	शिव शक्ति साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3335/29-10-2016	86/06-01-2016
38.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सौंसरखेड़ा	2749/08-01-2002	86/06-01-2016
39.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुधनी	2882/23-12-2005	86/06-01-2016
40.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुहासा	2745/08-01-2002	86/06-01-2016
41.	बालाजी बीज उत्पा. क्रय विक्रय सह. समिति बाबई	3046/25-02-2010	86/06-01-2016
42.	रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2717/30-08-2000	86/06-01-2016
43.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	28/26-05-1967	86/06-01-2016
44.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक क्रय विक्रय सह. समिति, समोन	2919/01-03-2007	86/06-01-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के नियम क्रमांक-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय लिखित प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकार गण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा पुस्तकों में समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेगें. उक्त सूचना के पश्चात् यदि पदाधिकारियों ने संपर्क नहीं किया तो पंजीयन निरस्ती हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

प्रमोद राय,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(335)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 16 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जयअम्बे माँ महिला बहु. सह. समिति मर्या., सिलवानी	2771/13-03-1999	734/29-03-2014
2.	माँ नर्मदा महिला बहु. सह. समिति मर्या., रामपुर	3041/01-08-2009	735/29-03-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सलैया किशोर	2680/22-01-1999	733/29-09-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., देवरीकलां	2704/01-05-2000	732/29-03-2014
5.	नर्मदाजी गृहनिर्माण सह. समिति मर्या., होशंगाबाद	2240/03-05-1985	337/07-03-2015
6.	साकेत गृहनिर्माण सह. समिति मर्या, होशंगाबाद	2072/13-01-1975	337/07-03-2015
7.	मानस बैंक गृहनिर्माण सह. समिति मर्या., इटारसी	2431/14-05-1994	337/07-03-2015
8.	शक्तिनगर गृहनिर्माण सह. समिति मर्या., होशंगाबाद	2817/18-08-2004	337/07-03-2015
9.	सुरक्षा कागज कारखाना सह. समिति मर्या., होशंगाबाद	2041/23-01-1978	337/07-03-2015

1	2	3	4
10.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., भिलाड़िया	2804/13-04-2014	674/29-03-2014
11.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., रेवामुहारी	2867/30-07-2005	675/29-03-2014
12.	मां नर्मदा म. प्र. राज्य परि. स्वा., होशंगाबाद	01/04-02-2002	1068/10-09-2013
13.	आदर्श स्वायत साख, होशंगाबाद	56/24-08-2004	1068/10-09-2013
14.	संतोषी माता स्वा. साख, होशंगाबाद	76/15-05-2006	1068/10-09-2013
15.	अयोध्यावस्ती स्वा., होशंगाबाद	77/15-05-2006	1068/10-09-2013

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं, एस. के. पाठक परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57-(1)सी/ग के अंतर्गत ये सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वह 2 माह के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

एस. के. पाठक,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(336)

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/66.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से माँ कैलादेवी फल-सागभाजी सहकारी, संस्था मर्या., सुनवाई, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एम. एन. ए./1054, दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था माँ कैलादेवी फल-सागभाजी सहकारी संस्था मर्या., सुनवाई, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एम. एन. ए./1054 दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(337)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/67.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी, संस्था मर्या., जमुर्दी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./138, दिनांक 20 जुलाई, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण

पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमुर्दी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./138, दिनांक 20 जुलाई, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/68.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., लाड़पुरा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./11, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., लाड़पुरा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./11, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(339)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/69.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., सुठारा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./38, दिनांक 10 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., सुठारा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./38, दिनांक 10 जून, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/70.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., नदीगांव घुघस, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./42, दिनांक 23 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., नदीगांव घुघस, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./42, दिनांक 23 जून, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(341)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/71.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., गोहर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./01, दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी, संस्था मर्या., गोहर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./01, दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(342)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/72.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से राजीव गांधी अल्पसंख्यक श्रमिक सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./80, दिनांक 09 फरवरी, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत

श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक, सहकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था राजीव गांधी अल्पसंख्यक श्रमिक सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./80, दिनांक 09 फरवरी, 2005 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(343)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/73.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से आदिवासी वनोपज सहकारी, संस्था मर्या., कराहल, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./262, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था आदिवासी वनोपज सहकारी, संस्था मर्या., कराहल, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./262, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(344)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/74.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से महात्मा गांधी श्रमिक सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./261, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था महात्मा गांधी श्रमिक सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर,

जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./261, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(345)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/75.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से सुविधा प्राथमिक मेडिकल स्टोर सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./258, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था सुविधा प्राथमिक मेडिकल स्टोर सहकारी, संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./258, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(346)

श्योपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/76.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/649,दिनांक 03 जून, 2016 से माँ पीताम्बरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी, भंडार मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./259, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था माँ पीताम्बरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी, भंडार मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./259, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(347)

श्योपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1386.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/निर्वा/2015/1579,दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी,

संस्था मर्या., निमानिया, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./124, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. गांगिल, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अत: मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमानिया, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./एस. पी. आर./124, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दिनेश कुमार चौरसिया,
सहायक पंजीयक.

(367)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 23 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2		3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रमठान	बड़वाह	1346/28-06-2003	1066/27-08-2016
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ओखला	बड़वाह	1363/16-02-2004	1066/27-08-2016
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कतरगांव	बड़वाह	1366/16-02-2004	1066/27-08-2016
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भेरूखेड़ा	बड़वाह	1401/17-12-2004	1066/27-08-2016
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., टांडा	बड़वाह	1420/05-05-2005	1066/27-08-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

भूषण जड़े,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक

(348)

कार्यालय परिसमापक सहकारी निरीक्षक, जिला खरगौन

दिनांक 5 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला खरगोन द्वारा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सन्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	वि. खण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोखरखुर्द	66/12-01-2016	1528/07-09-2007	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोडिया	66/12-01-2016	1500/12-06-2006	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोखरबुजुर्ग	66/12-01-2016	1316/15-01-2002	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
4.	आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भीकनगांव	1067/27-08-2016	1054/31-07-1996	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
5.	बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., भीकनगांव.	1068/27-08-2016	1554/20-08-2008	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
6.	जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., भीकनगांव.	1068/27-08-2016	1556/07-10-2008	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
7.	जय दुर्ग उद्वहन सिचाई सहकारी संस्था मर्या., सेल्दा.	1068/27-08-2016	603/03-12-1983	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
8.	नागराज आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., चौडी.	1068/27-08-2016	1424/10-06-2005	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
9.	जय भोले मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिराली	1068/27-08-2016	1471/03-12-2005	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
10.	संजीवनी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	1068/27-08-2016	1759/10-03-2014	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
11.	नानक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	1068/27-08-2016	1757/10-03-2014	भीकनगांव	नवीन मुहावरे
12.	सिध्दी विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1068/27-08-2016	1769/10-03-2014	भीकनगांव	नवीन मुहावरे

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रात: 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधीवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं क अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन मुहावरे,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन

खरगोन, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2016/1519.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	विवेकानन्द प्राथमिक सह. उप. भण्डार मर्या., बड़वाह	बड़वाह	783/31-12-1990	245/01-12-2014	श्री भूषण जड़े, उप-अंकेक्षक.
2.	कृषक भारती फसल सुरक्षा सह. संस्था मर्या., डाल्याखेड़ी	बड़वाह	1303/27-09-2001	245/01-12-2014	श्री भूषण जड़े, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(350)

खरगोन, दिनांक 11 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/21.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक आदेश क्रमांक	परिसमापन आदेश क्रमांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हतोला.	कसरावद	1255/27-03-2000	333/01-03-2016	श्री आर. भट्ट, स. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(351)

खरगोन, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, नियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र/परि/2016/1518-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या.	महेश्वर	1456/21-10-2005	1326/07-10-2013	श्री आर. के. रोमड़े, स. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
परिसमापक एवं पंजीयक

(352)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल द्वारा अध्यक्ष,

महिला स्वयं सुविधा साख सहकारी समिति,

मर्या., अधियार खोह, सीधी.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म. प्र. भोपाल के निर्देशानुसार संस्था की संरचना, प्रबंधन, एवं वित्तीय स्थिति

के संबंध में सहायक रजिस्ट्रार (आडिट) सहकारी सोसायटीज जिला सीधी से संस्था के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
2. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, संस्था उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रही है.
3. संस्था में अधिनियम, नियम, एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन बंद कर दिया है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था की अर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहा है.
5. संस्था द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन हेतु आवेदन के साथ संलग्न सदस्यता सूची में सदस्यों को अऋणी दर्शाया गया है, जबकि संस्था के "साख" वर्ग अन्तर्गत पंजीकृत होने से संस्था द्वारा साख व्यवसाय किया जाना आवश्यक है. कार्यालयनीन पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015,18 मई, 2016 एवं 05 नवम्बर, 2016 के द्वारा लगातार लिखे जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक उक्त त्रुटि का परिसमार्जन नहीं किये जाने से संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन संभव नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. सोनकुसरे, उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी म. प्र. यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी करता हूँ. कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 तक कार्यालययीन समय में आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित/मौखिक रूप से यह बतायें कि, उपरोक्त कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जावे.

उक्तांकित के संबंध में यदि आपका यथेष्ठ उत्तर नियत समयावधि में प्राप्त नहीं होता अथवा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता तो ऐसी स्थिति में यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तथा उल्लेखित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(353)

सीधी, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2016.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/441 दिनांक 01 जून, 2016 के द्वारा आदर्श मछली पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़रा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1087 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री माझी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2016 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 20 सितम्बर, 2016 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है.

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदर्श मछली पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़रा जिला सीधी, का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है.

अत: मैं, जी. पी. सोनकुसरे उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आदर्श मछली पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़रा जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1087 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 है, को एतद् द्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूं तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हैं.—

1.	श्री बैजनाथ साकेत	अध्यक्ष
2.	श्री लल्लू साकेत	उपाध्यक्ष
3.	श्री मुन्नी वर्मा	उपाध्यक्ष
4.	श्री रामाधार साकेत	संचालक
5.	श्री उग्रसेन साहू	संचालक

6.	श्री गोपाल साकेत	संचालक
7.	श्रीमती सुनीता साहू	संचालक
8.	श्री बाबू साहू	संचालक
9.	श्री रामाधीन केवट	संचालक
10.	श्री श्यामलाल विश्वकर्मा	संचालक
11.	श्री भैरव साकेत	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप रजिस्ट्रार.

(354)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2445.—कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 27 अगस्त, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/874, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 27 अगस्त, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(357)

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2446.—महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., टेंटवारा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/799, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., टेंटवारा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(358)

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2447—आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मालथोन, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 27 मई, 1982 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/288, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मालथोन, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 27 मई, 1982 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(359)

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2448—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आसोली, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 16 अगस्त, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/757, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी मालथोन, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आसोली, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 16 अगस्त, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(360)

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2449—इंदिरा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहाकरी समिति मर्या., चमारी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 03 मई, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/715, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहाकरी समिति मर्या., चमारी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 03 मई, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(361)

सागर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016, 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2450—महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भगतसिंह, वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 02 दिसम्बर, 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/132, दिनांक 23 जनवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुये महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भगतसिंह, वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 02 दिसम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(362)

सागर, दिनांक 25 नवम्बर, 2016, 30 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौता कलां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/2403.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौता कलां, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1368, दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र./क्यू 1/बीडीपीक्षे.स./2016, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारम्भ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौता कलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363)

सागर, दिनांक 25 नवम्बर, 2016, 30 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/2404.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर, जिला सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1503, दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना सागर के पत्र क्र./क्यू 1/बीडीपीक्षे.स./2016, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से संस्था के अकार्यशील होने एवं भविष्य में प्रारम्भ की संभावना नगण्य होने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए परिसमापन में लाए जाने का अनुरोध किया है.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(364)

सागर, दिनांक 25 नवम्बर, 2016, 30 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/2405.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1197, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर श्री विमल देव, उप-अंकेक्षक को संस्था का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, श्री विमल देव की टीप अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन में रूचि नहीं दिखाई जा रही थी, जिससे निर्वाचन प्रारम्भ नहीं हो सका.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(365)

सागर, दिनांक 25 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
देवी अहिल्या बाई महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
नरयावली, जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार देवी अहिल्या बाई महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नरयावली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार—

1. सोसायटी अकार्यशील है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सदस्यता सूची का प्रकाशन नहीं हो सका है, अर्थात/ निर्वाचन कराने में चूक की गई है.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवी अहिल्या बाई महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नरयावली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(366)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2017/95.—आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./973, दिनांक 13 जुलाई, 2006 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तद्नुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(177)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नौगांव.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नौगांव, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./....., दिनांक ..... है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 फरवरी, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तद्नुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(178)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी, 2017-माघ 21, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना (मुरैना), कराहल, विजयपुर (श्योपुर), लहार (भिण्ड), पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), गुन्नौर, पवई (पन्ना), हटा, बटियागढ़, दमोह (दमोह), नागौद, रामनगर (सतना), सिरमौर, हनुमना (रीवा), ब्यौहारी, गोहपारु, जैसिंहनगर (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), श्यामपुर (सीहोर), रायसेन (रायसेन), पिपरिया (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), मझोली (जबलपुर), बिछिया, मंडला (मंडला), चौरई, हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी, बिरसा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील जौरा (मुरैना), अटेर, गोहद, मेहगांव, रोनमिहोना (भिण्ड), जतारा, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना, शाहनगर (पन्ना), जवेरा (दमोह), उचेहरा, मैहर (सतना), गुढ़ (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), चुरहट (सीधी), शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), गैरतगंज (रायसेन), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), सीहोरा, पाटन, जबलपुर (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, सोंसर, उमरेठ, चांद, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), केवलारी (सिवनी), लांजी, बैहर, कटंगी, किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील निवाड़ी (टीकमगढ़), राजनगर (छतरपुर), अमरपाटन (सतना), बुढार, जैतपुर (शहडोल), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सीहोर, जावर, इच्छावर (सीहोर), गोहरगंज (रायसेन), पचमढ़ी, इटारसी (होशंगाबाद), घुघरी, नारायणगंज (मंडला), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील अजयगढ़ (पन्ना), तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर (सतना), मऊगंज, हुजूर, रायपुर-कुर्चुलियान (रीवा), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मंझोली (सीधी), शाजापुर (शाजापुर), जोवट,

अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, सोंडवा, उदयगढ़, च. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगावा, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), आष्टा, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी (सीहोर), बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाडी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, बावई, सोहागपुर, वनखेड़ी (होशंगाबाद), खिड़कीया (हरदा), कुंडम (जबलपुर), निवास, नैनपुर (मंडला), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, घन्सौर, घनोरा (सिवनी), लालबर्रा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी, शाजापुर, जबलपुर, कटनी व मंडला में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, छतरपुर व कटनी में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला शाजापुर, हरदा में फसल सोयाबीन व होशंगाबाद में मूंग व सीधी में धान, उड़द, मूंग व भोपाल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	6.4				
4. जौरा	30.0				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	2.4		तुअर, मूंग, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	5.0		सोयाबीन सुधरी हुई.		
			(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	27.0		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	21.0				
4. मेंहगांव	26.5				
5. लहार	7.4				
6. मिहोना }	33.0				
7. रौन }					
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, मूंगफली, तिल, उड़द,	6.संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	46.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	22.2				
4. टीकमगढ़	6.0				
5. बल्देवगढ़	3.0				
6. पलेरा	22.0				
7. ओरछा	10.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	30.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	7.0		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	14.0				
5. राजनगर	52.8				
6. बिजावर	21.0				
7. बड़ामलहरा	26.2				
8. बक्सवाहा	20.4				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	113.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	27.4		(2) . .		
3. गुन्नौर	15.4				
4. पवई	8.0				
5. शाहनगर	25.2				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	5		4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	2		(2) . .		
3. दमोह	16				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	31				
6. तेन्दूखेड़ा	58				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	57.5		4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	69.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	13.0				
5. उचेहरा	28.0				
6. अमरपाटन	50.0				
7. रामनगर	4.0				
8. मैहर	22.0				
9. बिरसिंहपुर	61.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	17.3		(2) . .		
3. मऊगंज	92.2				
4. हनुमना	4.8				
5. हजूर	91.0				
6. गुढ़	25.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	95.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	25.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को.-कु., तुअर, तिल, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	4.1		(2) . .		
3. गोहपारू	14.0				
4. जैसिंहनगर	4.3				
5. बुढ़ार	35.0				
6. जैतपुर	36.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.2		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदो-कुटकी, अधिक. मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	31.9		(2) . .		
3. कोतमा	126.6				
4. पुष्पराजगढ़	53.9				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	42.4		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.0		(2) . .		
3. मानपुर	37.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान, उड़द, मूंग, की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	11.6		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	6.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	94.4				
4. कुसमी	13.0				
5. चुरहट	23.5				
6. रामपुरनैकिन	6.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर, मूंगफली, मूंग अधिक. सोयाबीन, धान कम. ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व सोयाबीन की	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	68.0		उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	19.0		(2) . .		
4. कालापीपल	30.0				
5. गुलाना	29.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द, कपास, मूंगफली, धान, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोबट	101.8		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	130.0		(2) . .		
3. कट्ठीवाड़ा	81.2				
4. सोंडवा	87.0				
5. उदयगढ़	128.4				
6. च. शेखर आ. नगर	122.4				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. *जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	81.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	110.2		(2) . .		
3. सेगांव	98.0				
4. खरगौन	145.2				
5. गोगावां	144.9				
6. कसरावद	146.2				
7. भगवानपुरा	130.4.				
8. भीकनगांव	146.0				
9. झिरन्या	107.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	73.8		4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	116.0		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	166.0		(2) . .		
4. सेंधवा	114.0				
5. पानसेमल	66.0				
6. पाटी	74.0				
7. निवाली	104.0				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	63.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	65.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	92.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	44.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	12.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	87.0				
4. जावरा	37.8				
5. इछावर	38.0				
6. नसरूल्लागंज	96.0				
7. रेहटी	150.0				
8. बुधनी	111.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	6.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. मूंग, सोयाबीन, मूंगफली कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	24.0				
3. बेगमगंज	69.0				
4. गोहरगंज	52.0				
5. बरेली	102.8		(2) . .		
6. सिलवानी	81.6				
7. बाड़ी	103.0				
8. उदयपुरा	100.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल मूंग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	21.3		4. (1) तुअर, उड़द अधिक. मूंगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	105.8				
3. बावई	65.0		(2) . .		
4. इटारसी	36.2				
5. सोहागपुर	91.0				
6. पिपरिया	15.4				
7. बनखेड़ी	101.8				
8. पचमढ़ी	49.8				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	33.3		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	78.6		(2) . .		
3. टिमरनी	6.6				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	20.4		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	18.1				
3. जबलपुर	30.1		(2) . .		
4. मझोली	8.5				
5. कुण्डम	107.4				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	56.2		4. (1) धान, मक्का, सनु, को. कुटकी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	14.7		तुअर, उड़द, तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	95.9		(2) . .		
4. मण्डला	4.8				
5. घुघरी	43.5				
6. नारायणगंज	42.1				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	24.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	60.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	54.7				
4. तामिया	86.2				
5. सोंसर	24.1				
6. पांढ़र्णा	83.1				
7. अमरवाड़ा	60.6				
8. उमरेठ	27.4				
9. चौरई	2.0				
10. चाँद	33.0				
11. बिछुआ	21.0				
12. हर्रई	14.2				
13. मोहखेड़ा	88.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	13.40		4. (1) धान, ज्वार, को.-कु., मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	18.20		तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	64.70		तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना		
4. बरघाट	5.10		(2) . .		
5. खुरई	52.0				
6. घंसोर	54.0				
7. घनोरा	54.40				
8. छपारा	14.10				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	9.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	22.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	20.0				
4. वारासिवनी	12.6				
5. कटंगी	25.6				
6. किरनापुर	25.4				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	74.0				
9. बिरसा	0.4				
10. परसवाड़ा	8.8				

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, धार, इन्दौर, खंडवा, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(244)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.